

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन 'ए' ब्लॉक जनपथ, जयपुर- 302015

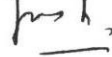
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F(ई)निप/अलेसे-III लिंक नं. 12222/2905

दिनांक :- 19-07-19

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमति/सुश्री राजश्री सिंह [लिंक नं. 12222] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग, नागौर-[1120] जिनकी जन्म तिथि 15/11/1991 है, ने अपना विवाह होने के उपरान्त अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2018 द्वारा अपना नाम राजश्री सिंह से परिवर्तित कर राजश्री शेखावत (उपनाम परिवर्तन) किये जाने का अनुरोध किया है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 (ए) के निर्णय सपठित वित्त (नियम) विभाग के ममोरेण्डम दिनांक 15.02.2018 के अनुसार इनका परिवर्तित नाम राजश्री शेखावत विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- F(ई)निप/अलेसे-III लिंक नं. 12222/2905

दिनांक :- 19-07-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, नागौर।
2. कोषाधिकारी, नागौर।
3. श्री/श्रीमति/सुश्री राजश्री शेखावत [लिंक नं. 12222] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग, नागौर।
4. अतिरिक्त निजि सचिव, निदेशक।
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)